मु.नं. 60/11 ओमप्रकाश / भींवा व अन्य
वाद

06/3/19 — प्रसाइडिंग ऑफिसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 02/4/19 को पेश हो।

02/4/19 — प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 16/5/19 को पेश हो।

16/5/19 — प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 10/6/19 को पेश हो।

10/6/19 — व.क.उप०। प्रा० पत्र आपत्ति कुरेजात पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 17/6/19 को पेश हो।

Sd/-

17/6/19 — पत्रावली पेश हुई। व.क.उप०। प्रार्थी / प्रतिवादी का प्रा० पत्र आपत्ति कुरेजात खारिज किया जाता है। वादी का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 02/5/17 के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० मि० किया गया। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

Sd/-
सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–**60/2011**

उनवान

ओमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, उम्र 65 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।

–वादी

बनाम

1. भींवा
2. जुगलकिशोर
3. अर्जुनसिंह
4. फूलचन्द

(1 से 4) पुत्रान स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण

5. श्रीमती सुरजा देवी पत्नि श्री भींवा

(1 से 5) समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सीतारामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर

6. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :– **17.06.2019**

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 ता 4 की ओर से प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात का पेश किया गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2016 को प्राथमिक डिक्री प्रदान की गयी जिसकी अनुपालना में तहसीलदार द्वारा दिनांक 02.05.2017 को कुर्रेजात रिर्पोट तैयार कर न्यायालय में पेश की गयी। जो पूर्णतया मौका रिपोर्ट से विपरित व मनमाने रूप से बनायी गयी है। कुर्रेजात रिर्पोट बिना मौके पर गये व बिना खातेदारों की उपस्थिति में मनमाने रूप से तैयार की है। कुर्रेजात रिर्पोट दिनांक 02.05.2017 में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण स. 1 ता 4 की भूमि के दो भागो में विभाजित कर दिया गया है। कुर्रेजात रिर्पोट पुनः मंगवाये जाने का कथन किया है।

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मु0सं0—60/2011
उनवान—ओमप्रकाश बनाम भींवा वगै0
निर्णय दिनांकः—17.06.2019

वादी/अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात पेश किया है कि जो मौका रिपोर्ट बनवाई गई हैं, वह पटवारी एवं गिरदावर हल्का के द्वारा मौके पर जाकर न्यायालय के आदेशानुसार रहवास, कब्जे, मकानात एवं रास्ते को ध्यान में रखते हुये खातेदारान की उपस्थिति में तैयार की गई हैं। जिस पर प्रतिवादीगण—प्रार्थीगण पूर्णतया सहमत थे तथा उनकी उपस्थिति में ही तैयार की गई थीं, तथा पूर्व में आयी दोनों रिपोर्टों पर कभी भी प्रार्थीगण—प्रतिवादीगण द्वारा कोई ऐतराज नही किया गया हैं। जो कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई हैं, उसमें राजस्व रिकार्ड एवं हिस्से व कब्जे के अनुसार रास्ते को को ध्यान में रखते हुये विभाजन किया गया हैं जो पूर्णतया मौका स्थिति के अनुसार है। आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया है।

आपत्ति कुर्रेजात प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी का वादपत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है तथा खातेदारों का रिकार्ड एवं मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्ताकारों के रिकोर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाये गये है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाये गये है, जिसमें कोई त्रुटी नहीं पायी गई है। अतः प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात का खारिज किया जाता है एवं मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 02.05.2017 के अनुसार वादी का अन्तिम डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि खसरा नं0 705/2151, 706, 709/2152 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.09 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सीतारामपुरा, पटवार हल्का मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 02.05.2017 के निम्नप्रकार से बंटवारा किया जाता हैः—

1. ओमप्रकाश पुत्र हनुमानप्रसाद, कौम ब्राहम्ण, निवासी गोविन्दगढ़ के हिस्से में खसरा नं0 706/2 रकबा 0.51 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. भींवा, जुगलकिशोर, अर्जुनसिंह पुत्रान लक्ष्मीनारायण, सुरजा देवी पत्नि भींवा हिस्सा 2/3, भींवा, जुगलकिशोर, अर्जुनसिंह, फूलचन्द पिता लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/3 कौम जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 706 रकबा 1.34 है0 खसरा नं0 705/2151 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 709/2152 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.54 है0 भूमि जो नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. ओमप्रकाश पुत्र हनुमानप्रसाद हिस्सा 1/4, कौम ब्राहम्ण, निवासी गोविन्दगढ,

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मु0सं0–60/2011
उनवान–ओमप्रकाश बनाम भींवा वगै0
निर्णय दिनांकः–17.06.2019

भींवा, जुगलकिशोर, अर्जुनसिंह, फूलचन्द पुत्रान लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/4, भींवा, जुगलकिशोर, अर्जुनसिंह पुत्रान लक्ष्मीनारायण, सुरजा देवी पत्नि भींवा हिस्सा 1/2, कौम जाट, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 706/1 (रास्ता) रकबा 0.04 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

अंतिम डिकी जारी हो। नजरी नक्शा डिकी व निर्णय का जुज रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ (जयपुर) चौमूँ

Scanned by CamScanner

मु0सं0–60/2011
उनवान–ओमप्रकाश बनाम भींवा वगै0
निर्णय दिनांकः–17.06.2019

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

उनवान

ओमप्रकाश शर्मा पुत्र स्व0 श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, उम्र 65 वर्ष, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर (राज0)।

–वादी

बनाम

1. भींवा
2. जुगलकिशोर
3. अर्जुनसिंह
4. फूलचन्द

(1 से 4) पुत्रान स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण

5. श्रीमती सुरजा देवी पत्नि श्री भींवा

(1 से 5) समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम सीतारामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर

6. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयक कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0ः–60/2011

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

विवादित भूमि खसरा नं0 705/2151, 706, 709/2152 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.09 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम सीतारामपुरा, पटवार हल्का मलिकपुर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट निम्नानुसार बंटवारा किया जाता हैः–

1. ओमप्रकाश पुत्र हनुमानप्रसाद, कौम ब्राहम्ण, निवासी गोविन्दगढ़ के हिस्से में खसरा नं0 706/2 रकबा 0.51 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में नीले रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मु0सं0–60/2011
उनवान–ओमप्रकाश बनाम भींवा वगै0
निर्णय दिनांक:–17.06.2019

2. भींवा, जुगलकिशोर, अर्जुनसिंह पुत्रान लक्ष्मीनारायण, सुरजा देवी पत्नि भींवा हिस्सा 2/3, भींवा, जुगलकिशोर, अर्जुनसिंह, फूलचन्द पिता लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/3 कौम जाट सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 706 रकबा 1.34 है0 खसरा नं0 705/2151 रकबा 0.14 है0, खसरा नं0 709/2152 रकबा 0.06 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.54 है0 भूमि जो नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. ओमप्रकाश पुत्र हनुमानप्रसाद हिस्सा 1/4, कौम ब्राहम्ण, निवासी गोविन्दगढ, भींवा, जुगलकिशोर, अर्जुनसिंह, फूलचन्द पुत्रान लक्ष्मीनारायण हिस्सा 1/4, भींवा, जुगलकिशोर, अर्जुनसिंह पुत्रान लक्ष्मीनारायण, सुरजा देवी पत्नि भींवा हिस्सा 1/2, कौम जाट, सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 706/1 (रास्ता) रकबा 0.04 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 17.06.2019 को जारी किया गया

दस्तखत .... सहायक कलक्टर

मोहर

ओहदा........चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	1

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.12.04 14:38:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: